प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका**, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019-20/16/7881-3 दिनांकः 17.12.2019

विषयः- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 30.11.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 30 नवम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यकमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019-20/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
9. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका**, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ दिनांकः 17.12.2019

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 30.11.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 30 नवम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/7881-3(11) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
9. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 30 नवम्बर 2019 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 30 नवम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशक–वी0बी0डी0, निदेशक– परिवार कल्याण, तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत हैं–

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये जाने सम्बन्धी बिन्दु–

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये जाने के कार्य को विशेष प्राथमिकता पर अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये।
2. निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा योजना के कियान्वयन के लिये आवश्यक कम्प्यूटर एवं प्रिंटर आदि हेतु प्रत्येक जनपद को एक लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है जिसे नियमानुसार व्यय कर आवश्यक उपकरण आदि कय करना सुनिश्चित करें।
3. अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी रूपये 3.61 की दर से धनराशि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को प्रदान की गयी है जिसका उपयोग लाभार्थियों के डाटा के डिजीटाइजेशन, कम्प्यूटरीकरण एवं यथा निर्देशित अन्य कार्यो को जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से अनुमोदन लेकर किया जाना सुनिश्चित करें।
4. अवगत कराया गया कि दिनांक 29.11.2019 तक यू0डी0आई0डी0 कार्ड हेतु 4,72,802 दिव्यांगजनों का पंजीकरण हुआ है जिसके सापेक्ष 2,86,400 दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड जनरेट हुये हैं एवं 51,846 प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये हैं। जनपदों की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वह अविलम्ब प्रगति में सुधार लायें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समस्त पात्र लाभार्थियों को यू0डी0आई0डी0 कार्ड जनरेट करने के प्रयास किये जायें।
5. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि जो दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त कर रहें है उनका कम्प्यूटरीकृत डाटा उपलब्ध है अतः ऐसे कुल 10,07,644 दिव्यांगजन का यू0डी0आई0डी0 कार्ड बिना किसी विलम्ब के जनरेट किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अब तक 21,76,892 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। अतः इन दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड विशेष प्राथमिकता पर अभियान चलाकर जारी किये जाये।
6. प्रमुख सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिये "जनहित गारण्टी योजना" के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन्हें जब यू0डी0आई0डी0 के पोर्टल पर प्राप्त किया जाये। यह भी सुझाव दिया गया कि इस योजना को आयुष्मान भारत के कार्ड की योजना के साथ समन्वित किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया कि यू0डी0आई0डी0 कार्ड चूंकि नेट से ही बनना है अतः तहसील दिवस में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन कैम्प के रूप में आवश्यक सूचना एकत्र की जाये।
7. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान अधिनियम में पूर्व में परिभाषित 07 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर अब 21 प्रकार की दिव्यांगतायें परिभाषित की गयी हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी दिशा–निर्देशों का सहयोग लेकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वे यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये जाने की प्रगति निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ–साथ निदेशक, दिव्यांगजन

सशक्तिकरण विभाग एवं राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को भी अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

"सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान–2"–

9. प्रदेश के 73 जनपदों के 425 ब्लाकों में "सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान–2" चार चरणों में (दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 06 जनवरी, 2020, 3 फरवरी, 2020 एवं 2 मार्च, 2020) चलाया जाना है, जिसमें से प्रथम चरण 02.12.2019 से प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक तैयारियां (ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन) पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
10. अवगत कराया गया कि 73 जनपदों में से 42 जनपदों के द्वारा माइक्रोप्लान तैयार किया जा चुका है। 13 जनपदों में ब्लाक द्वारा माइक्रोप्लान तैयार किया जा चुका है, 14 जनपदों के ब्लाकों द्वारा आंशिक रूप से तैयार किया गया है। 04 जनपदों (भदोही, एटा, हाथरस एवं मिर्जापुर) में अभी तक माइक्रोप्लान नहीं तैयार किया गया है। निर्देशित किया गया कि निर्देशानुसार माइक्रोप्लान तैयार करके योजनानुसार गतिविधि संचालित कराना सुनिश्चित करें।
11. आई0एम0आई0 2.0 अभियान के दौरान प्रत्येक जनपद में सत्र आयोजित किये जाने से एक दिन पूर्व उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के माध्यम से डुगडुगी/मुनादी करवाकर सत्र का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये।
12. प्रतिरोधी परिवारों को टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु ब्लाक स्तर पर टीम गठित कर ग्राम प्रधान/लेखपाल/ग्राम सचिव/राशन कोटेदार इत्यादि के सहयोग से इनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये।
13. अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक सत्र का फोटोग्राफ ए0एन0एम0 द्वारा सत्र स्थल/ब्लाक के नाम सहित ब्लाक चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जनपद स्तर पर भेजा जाये तथा जनपद स्तर द्वारा प्रत्येक फोटोग्राफ को संकलित कर राज्य स्तर पर प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित किया जाये। मण्डल स्तरीय अधिकारियों (अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक) द्वारा क्षेत्र में सत्रों का पर्यवेक्षण करते हुये फोटोग्राफ WhatsApp ग्रुप/पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

आयुष्मान भारत योजना–

14. निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करें। ए0एन0एम0 एवं आशा के द्वारा भी योजना के लाभों के विषय में समुदाय में जागरूकता की जाये, जिससे योजना के अन्तर्गत उपचार कराने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की जा सके। योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध सेवाओं का भी प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
15. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत समस्त चिन्हित लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाने हेतु अधिक से अधिक कैम्प का आयोजन करना सुनिश्चित करें। एक परिवार के कम से कम एक सदस्य का कार्ड आवश्यक रूप से बनवाना सुनिश्चित करें। तहसील दिवस में योजना के कैम्प लगाकर अधिक व्यक्तियों को लाभ दिया जा सकता है। कैम्प के आयोजन हेतु माइक्रोप्लान बनाकर जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रचार–प्रसार करवायें।
16. निर्देशित किया गया जनपद के ऐसे सामुदायिक केन्द्रों, जो अभी तक योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट ईम्पैनलमेन्ट कमेटी से अनुमोदन कराते हुए प्रकरण स्टेट ईम्पैनलमेन्ट कमेटी को एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चत करें। यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों को आबद्ध करने का प्रस्ताव देते समय चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों के सापेक्ष ही विशेषज्ञता का चयन किया जाये।

एन0जी0टी0/बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट–

17. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कुल 66 जनपदों के लिए केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण कर एल0ओ0आई0 जारी किया जा चुका है (शेष जनपदों हेतु निविदा प्रकियाधीन है), जिसके सापेक्ष 46 जनपदों द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किये गये हैं एवं 13 जनपदों द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं तथा 07 जनपदों द्वारा अनुबन्ध की सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।

सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र अनुबंध हस्ताक्षरित करते हुये सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

18. अवगत कराया गया कि 23 जनपदों द्वारा जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर बायो मेडिकल वेस्ट मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माह अक्टूबर तक शून्य व्यय तथा 17 जनपदों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायो मेडिकल वेस्ट मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माह अक्टूबर तक शून्य व्यय किया गया है। निर्देशित किया गया कि नियमानुसार उपलब्ध बजट के सापेक्ष व्यय करना सुनिश्चित करें।
19. अवगत कराया गया कि 61 जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट कलैक्शन शेड निर्माणाधीन हैं तथा 10 जनपदों (बागपत, बदॉयू, फतेहपुर, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, पीलीभीत, सुल्तानपुर एवं शाहजहांपुर) में कार्यदायी संस्था का चयन नहीं किया गया है तथा जनपद बस्ती, गोण्डा, बिजनौर एवं संत कबीर नगर के द्वारा निर्माण सम्बन्धी सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट कलैक्शन शेड का निर्माण नियमानुसार ससमय करवाना सुनिश्चित करें तथा निर्माण समबन्धी सूचना भी ससमय प्रेषित करें।
20. निर्देशित किया गया कि ई0टी0पी0 का निर्माण जल निगम के द्वारा किया जाना है, इसमें सहयोग करें तथा डीप ब्यूरल पिट का आपसी सामन्जस्य के माध्यम से निर्माण सुनिश्चित करायें। निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायें।

<u>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –</u>

21. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देश के क्रम में दिनांक 02 दिसम्बर से 08 दिसम्बर, 2019 तक मातृत्व वंदना सप्ताह 2019 का आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जाना है। निर्देशित किया गया कि जिन ब्लाकों में मिशन इन्द्रधनुष अभियान का प्रथम चरण संचालित है वहां मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन मिशन इन्द्रधनुष अभियान के प्रथम चरण के समापन उपरान्त किया जाना सुनिश्चित करें।
22. निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिदिन कम से कम 100 लाभार्थियों के प्रपत्र भरे जाए एवं उनका अंकन उसी दिन पोर्टल पर कर दिया जाए। सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक आशा कम से कम पॉच नए प्रपत्रों को एक सप्ताह की अवधि में उपलब्ध कराए। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा लाभार्थियों का अप्रूवल एवं इन्सटालमेन्ट शून्य रखा जाए। करेक्शन में आए प्रपत्रों का निराकरण उसी दिन प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाए।
23. द्वितीय एवं तृतीय किश्त के लाभार्थियों की सूची नाम एवं दूरभाष के साथ बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध कराई जाए एवं उनका प्रपत्र सप्ताह की अवधि में भरवा कर अंकन करा दिया जाए। ब्लॉक लेखा प्रबन्धक जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों के अंकन में सहयोग करना सुनिश्चित करें।
24. योजना के अन्तर्गत जनपद कार्यालय हेतु वाहन व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया जिससे जनपदों में नियुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सहायक द्वारा ब्लॉकों का भ्रमण किया जा सके।
25. जिन जनपदों में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसी कारणवश नही हो पाया है उसे शीघ्र सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही 37 जनपदों जिनमें नियुक्ति की प्रक्रिया लम्बित है उन्हें पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>संचारी रोग के अन्तर्गत स्वाइन फ्लू–</u>

26. निर्देशित किया गया कि स्वाइन फ्लू की रोक–थाम हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें। आइसोलेशन वार्ड बनवा दें, औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
27. निर्देशित किया गया कि प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करें, सम्बन्धित स्टाफ का टीकाकरण भी सुनिश्चित करें तथा मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त गतिविधियों पर दो दिनों के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा मिथ्या खबरों का खण्डन अवश्य करें एवं कमियों को दूर करने के प्रयास करें।

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0डी0ए0 / आई0डी0ए0 गतिविधि–

28. अवगत कराया गया कि एम0डी0ए0 / आई0डी0ए0 गतिविधि के अन्तर्गत डब्ल्यू0एच0ओ0 के द्वारा की गयी मॉनीटरिंग में निष्कर्ष दिया गया है कि जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ, गाजीपुर, औरैया, रायबरेली के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। जनपद खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव एवं सीतापुर में टीमों के पास माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं पाया गया, नियमानुसार लम्बाई नहीं ली जा रही एवं नवीन औषधि की खुराक के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया। प्रमुख सचिव द्वारा प्रकरण पर घोर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि गतिविधि को गम्भीरता से लेते हुये कार्यक्रम को क्रियान्वित करायें।
29. निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से जनपद हरदोई, उन्नाव एवं सीतापुर में टीमों को भेजकर अनुश्रवण कराया जाये तथा इसकी आख्या प्रमुख सचिव को उपलब्ध करायें। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ एवं कानपुर को गहन स्थलीय पर्यवेक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।
30. निर्देशित किया गया कि टीमों के द्वारा अपने सामने दवा खिलाया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक स्तर से गतिविधि का अनुश्रवण सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में चिकित्साधिकारी पर्याप्त समय प्रदान करें जिससे गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुपरवाईजर की सांयाकालीन समीक्षा बैठक करना सुनिश्चित करें एवं अनुपस्थित सुपरवाईजरर्स के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से राज्य को अवगत करायें जिन जनपदों में मिशन इन्द्रधनुष के कारण 16.12.2019 से 24.12.2019 चलाया जाना है। इसके लिए आगामी चरण की योजना बना लें जिससे गतिविधि को सुचारू ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

अन्य बिन्दु–

31. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समन्वय के माध्यम से निजी चिकित्सालयों / नर्सिंग होम में होने वाले संस्थागत प्रसव के आंकडों एवं टी0बी0 का उपचार कराने वाले मरीजों की संख्या को सम्बन्धित चिकित्सालयों से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
32. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि **Civil Registration System** को सुदृढ किंये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें। सरकारी चिकित्सालय में होने वाले समस्त जीवित जन्मों का पंजीकरण **Civil Registration System** में किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ बैकलॉग को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।